-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

अपराध से अंजाम तक:- त्वरित विवेचना एवं सशक्त अभियोजन से 06 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 55 दिन में दिलाई गई मृत्युदण्ड की सजा।

विवरण- महिला सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की **जीरो टॉलरेंस नीति** के क्रम में तथा शासन द्वारा चलाए जा रहे **मिशन शक्ति अभियान** एवं **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत जनपद बांदा पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कालिंजर क्षेत्र अंतर्गत 06 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म की घटना में संलिप्त अभियुक्त को न केवल त्वरित पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया, बल्कि प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन एवं सशक्त अभियोजन के फलस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड एवं 25,000 रुपये अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया।

घटना दिनांक 25.07.2025 की है, जब थाना कालिंजर क्षेत्र निवासी पूर्व परिचित **अभियुक्त अमित पुत्र बाबू निवासी महोरछा थाना कालिंजर जनपद बांदा** द्वारा 06 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा बच्ची को गंभीर अवस्था में छोड़कर अभियुक्त फरार हो गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल बच्ची को चिकित्सकीय उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर थाना कालिंजर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना कालिंजर व एसओजी सहित कई टीमों का गठन किया गया था। दिनांक **26.07.2025** को प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त को ग्राम गुढ़ाकला, गुड़ा मंदिर रोड पुलिया के पास से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिस दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में **अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगी** तथा उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के पश्चात जेल भेजा गया।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त-

मामले की विवेचना **तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कालिंजर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह** द्वारा अत्यंत संवेदनशीलता, तत्परता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की गई। विवेचना के दौरान चिकित्सकीय, फॉरेंसिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करते हुए **मात्र 20 दिनों के भीतर आरोप पत्र** माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। **डीजीसी क्रिमिनल श्री विजय बहादुर सिंह** के नेतृत्व में **लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम** द्वारा प्रभावी पैरवी, **कोर्ट मोहर्रिर जितेन्द्र कुमार** एवं **पैरोकार चन्दन सिंह** के सतत प्रयासों से आरोप विरचन के **मात्र 55 दिनों के भीतर** माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए **मृत्युदण्ड व 25,000 रुपये अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा गिरफ्तारी, विवेचना एवं अभियोजन में शामिल टीम की सराहना करते हुए उन्हे बधाई दी गई तथा अपराधियो को कड़ी चेतावनी दी गई है कि **महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम एवं उदाहरणात्मक कार्यवाही** की जाएगी। उन्होने जनपदवासियों को आश्वस्त किया है कि बांदा पुलिस महिला सुरक्षा/आमजन की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।